



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53794

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 289/2026

नाबालिग X

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

:

मनोज कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

विद्वान ए.जी.ए. द्वारा आज दाखिल किया गया अनुपालन शपथपत्र अभिलेख में ले लिया गया है।

प्रतिवादी को नोटिस तामील कराया जा चुका है, लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उसके प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे आगे "जे.जे. अधिनियम, 2015" कहा गया है) की धारा 102 के तहत दायर की गई है, जिसमें याचिका को स्वीकार करने और माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा आपराधिक अपील संख्या 121/2025 में दिनांक 15.12.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 29.09.2025 को पारित आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेशों के संचालन पर रोक लगाने और याचिकाकर्ता को वाद संख्या 101/2025, धारा 70(2), 74

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बीएनएस और धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम, थाना फरिहा, जिला फिरोजाबाद में जमानत पर रिहा करने का भी अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले में वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना के समय आरोपी की आयु लगभग 16 वर्ष थी। एफआईआर स्वयं पीड़िता ने दर्ज कराई थी, जिसकी आयु भी लगभग 15 वर्ष थी और यह छेड़छाड़ से संबंधित थी, लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान धारा 183 बीएनएसएस के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने दो अन्य सह- आरोपियों को बलात्कार के आरोप में फंसाया। आगे निवेदन किया गया कि एफआईआर में छेड़छाड़ के आरोप के अलावा वर्तमान याचिकाकर्ता या अन्य सह- आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं है। उसने स्वयं एफआईआर में उल्लेख किया है कि वह वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ खेत में गई थी और वहां बातचीत कर रही थी, जब वह घर लौटने लगी तो याचिकाकर्ता ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस पर उसके चाचा दया शंकर वहां मौजूद थे और उन्होंने याचिकाकर्ता को पकड़ लिया, जो उसे छुड़ाकर भाग गया। चिकित्सा परीक्षण में उसके शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई जिससे बलात्कार का संकेत मिले। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपराधी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय दोनों ने ही विचार नहीं किया है। विद्वान जे.जे. बोर्ड ने जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और माननीय अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को खारिज करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे वैध नहीं कहा जा सकता है। दिनांक 01.07.2025 से दोषी किशोर देखभाल गृह में है और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है।

विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत दलीलों, अभिलेखों के अवलोकन, अभियुक्त की आयु, उसके अवलोकन गृह में बिताए गए समय, एफआईआर की सामग्री, धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बयान और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों तथा डीएसपी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेखों पर मौजूद सामग्री पर उचित रूप से विचार नहीं किया तथा न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण याचिका में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 29.09.2025 को और अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2025 को पारित आदेश अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।

यह निर्देश दिया जाता है कि किशोर /आवेदक को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप पुनरीक्षणकर्ता (दोषी किशोर का विधिक अभिभावक) और दो जमानतदारों द्वारा समान राशि के व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक अभिभावक यह वचन देंगे कि जमानत पर रिहाई के बाद पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में नहीं आने दिया जाएगा और न ही उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने दिया जाएगा तथा पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि किशोर अपराध की पुनरावृत्ति न करे।
- (ii) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक अभिभावक यह वचन देंगे कि किशोर उचित स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेगा और अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजन गतिविधियों में बर्बाद नहीं करेगा।
- (iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता /प्राकृतिक अभिभावक प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करेगा , जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित आवधिक आधार पर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

17 मार्च, 2026

अनुराग सिंह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।